रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289] नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 2015/वैशाख 16, 1937
No. 289] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 2015/VAISAKHA 16, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2015

सा.का.नि. 363(अ).—केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 59(अ), तारीख 21 जनवरी, 2004 द्वारा नाइट्रोग्लाइसीरिन या वैसे अन्य पदार्थों, चाहे एकल रासायनिक यौगिक हो या ऐसे विस्फोटकों का मिश्रण हो (वर्ग 3, प्रभाग 1 का विस्फोटक), को कब्जे में रखने के विक्रय और प्रयोग का प्रतिषेध किया था और उक्त विस्फोटकों के विद्यमान स्टॉक के व्ययन के लिए उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट समय-सीमा सा.का.नि. संख्यांक 530(अ), तारीख 20 अगस्त, 2004 द्वारा 1 दिसंबर, 2004 तक बढ़ाई गई थी ;

और, भारतीय भेषजीय कंपनियां नाइट्रोग्लाइसीरिन का विनिर्माण कर रही हैं और नाइट्रोग्लाइसीरिन को 10% तक अल्कोहल में तनु या फेल्गमेटाइज कर रही हैं तथा उन तनु उत्पादों को अन्य भेषजीय विनिर्माण कंपनियों को सक्रिय भेषजीय संघटकों के रूप में प्रदाय कर रही हैं ।

अतः, केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) के अधीन औषधि विनिर्माण अनुज्ञप्तियों को धारण करने वाली भेषजीय विनिर्माण कंपनियों को 10% तनु किए गए नाइट्रोग्लाइसीरिन के कब्जे में रखने, विक्रय और प्रयोग के संबंध में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 59(अ), तारीख 21 जनवरी, 2004 के उपबंधों के प्रचालन से छूट प्रदान करती है । ऐसी भेषजीय विनिर्माण कंपनियों को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, किसी भी प्रक्रम पर विपुल नाइट्रोग्लाइसीरिन को पृथक किए बिना एक किलोग्राम बैच आकार से अनधिक नाइट्रोग्लाइसीरिन के विनिर्माण के संबंध में तथा 10% तक तनु किए नाइट्रोग्लाइसीरिन के कब्जे में रखने, विक्रय और प्रयोग से विस्फोटक अधिनियम, 2008 के सुसंगत उपबंधों से भी छूट प्रदान की जाती है ।

[फा.सं. 17(17)/2014- विस्फो.]

शैलेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2015

G.S.R. 363(E).—Whereas the Central Government had prohibited the possession, sale and use of the nitro-glycerine or such other substance whether a single chemical compound or a mixture of such explosives (explosive of Class 3, Division 1) vide number G.S.R. 59 (E), dated the 21st January, 2004 and the time limit specified in the said notification was extended to dispose of the existing stock of said explosives till the 1st day of December, 2004 vide number G.S.R. 530 (E), dated the 20th August, 2004;

And whereas, the Indian Pharmaceutical Companies are manufacturing nitro-glycerine and diluting or phelgmatizing nitro-glycerine upto 10% in alcohols and supplying those diluted products to other pharmaceutical manufacturing companies as active pharmaceutical ingredients.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Explosives Act,1884 (4 of 1884), the Central Government hereby exempts pharmaceutical manufacturing companies holding drug manufacturing licenses under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) from the operation of provisions of the notification number G.S.R. 59(E), dated the 21st January, 2004 in respect of possession, sale and use of nitro-glycerine diluted upto 10%. Such pharmaceutical manufacturing companies are also exempted in respect of manufacturing of nitro-glycerine not exceeding batch size of one kilogram without isolating bulk nitro-glycerine at any stage and possession, sale and use of nitro-glycerine diluted upto 10% from the relevant provisions of the Explosives Rules, 2008 from the date of publication of this notification.

[F.No.17(17)/2014-Expl.]

SHAILENDRA SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.